LOK SABHA

Monday, December 5, 1983/Agrahayana 14, 1905 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

*162. **श्री निहाल सिंह :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी योजना के अन्तर्गत कितने लोगों के नाम पंजीकृत किये हैं और इस योजना के अन्तर्गत कितना धन एकत्र किया है ;

(ख) इन लोगों को फ्लैट और मकान कब तक आबंटित कर दिये जायेंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "हुडको" तथा रोहिणी योजना के अन्तर्गत एकत्र किया गया सारा धन खर्च कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) 82,384 persons stand registered by D.D.A. under the Rohini Scheme. A sum of Rs. 2114.651 lakhs has been collected against registration under the Scheme.

(b) The Rohini Scheme is basically a Residential Scheme for allotment of plots. It does not envisage allotment of built up houses/flats to persons registered thereunder.

(c) The Delhi Development Authority has reported that the money realised under the HUDCO and Rohini Schemes has contributed towards the massive investment made in developmental and construction works by the Authority.

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा जो फीगर्स दी गई हैं, वे कुछ सही मालूम नहीं पड़ती है। जैसा कि अखबारों में आया है कि एक लाख 75 हजार व्यक्तियों ने इस स्कीम में रजिस्टर करवाया है और उनसे करीब सौ करोड़ रुपए से भी अधिक रुपया वसूल किया गया है और सारा रुपया खर्च कर दिया गया है। पांच वर्ष में सबको प्लाट देने का वायदा किया है, लेकिन अभी तक केवल दो ड्रा निकाले हैं, जिसमें बीस हजार व्यक्तियों को प्लाट दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि 90 प्रतिशत लोग अभी भी बाकी हैं और जब तक उनको देंगे तब तक कीमत दुगनी हो जाएगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एप्लीकेशन लेते वक्त जो कीमत घोषित की गई थी, क्या उसी कीमत पर आवंटित करते वक्त प्लाट देने का कष्ट करेंगे ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sir it is not correct to say that the number of registered persons is over 1.75 lakhs. As stated by my hon. colleague, the number of registered persons is 82,384; out of that some people withdrew their applications and an amount of Rs.27.82 lakhs was refunded to those people. As you know Rohini is a very ambitious project, perhaps

the largest colony in this type of scheme. It is not easy to start construction of site without having all the infrastructure needed in a developed colony. Roads, electricity supply, water supply, sewerage, etc. have to be there. If it has taken time, it is because of these infrastructures. Now that we have crossed that st age and we have been able to lay the infrastructure, I think, within given time Rohini will be completed. Therefore he need not have any apprehension.

About the price it has been given out by DDA when it was registered, and it will be the same as decided on the date of registration.

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी काम को करते वक्त दस प्रतिशत ओवरसीयर, 30 प्रतिशत ठेकेदार, 10 प्रतिशत इंजीनियर और 20 प्रतिशत अधिकारी इस प्रकार 60 प्रतिशत तो ये सब मिलकर खा जाते हैं। इस प्रकार 50 हजार में मकान बनता है तो एक लाख रुपया वसूल किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो प्रतिशत बताया है, वह करीब 90 प्रतिशत हो गया, बाकी बचा कितना।

श्री निहाल सिंह : इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे गारन्टी देंगे कि पचास साल के अन्दर यदि मकान गिर जाता है तो उसको मुफ्त में मकान की मरम्मत करवायेंगे ?

श्री बूटा सिंह : यह बड़ी असंभव सी बात है। ईश्वर का भी प्रकोप हो सकता है। इसलिए इतनी लम्बी अवधि देना मेरे लिए संभव नहीं है। जो प्रतिशत माननीय सदस्य ने दिए हैं, वे तथाकथित हैं और उनके मन के बनाए हुए हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि रोहिणी प्रोजैक्ट समय पर पूरा होगा। प्रश्न के सी भाग में कहा गया है कि जो रुपया क्लैक्ट हुआ था, वह हमने विकास के कामों में लगाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विकास के जिन कामों में रुपया लगाया है, वह रोहिणी प्रोजैक्ट में लगाया है या कहीं और लगाया है ?

अध्यक्ष महोदय : उसी की बात की है।

श्री नवल किशोर शर्मा : शिकायत यह है कि रोहिणी प्रोजैक्ट में देरी का कारण प्लानिंग की कमी है, साधनों और रुपयों का अभाव है। मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि रोहिणी प्रोजैक्ट किन कारणों से डिले हुआ है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि दिल्ली के अन्दर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए मकानों की व्यवस्था की जा रही है तथा कुछ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को भी जमीन दी गई है। जो एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन सोसाइटीज धन के अभाव में हैं, क्योंकि पाबन्दी यह लगाई हुई है कि सोसाइटीज पहले अपना हिस्सा खर्च करें, उसके बाद उनको कर्जा मिलेगा। इस पाबन्दी के कारण गरीब आदमी मकान नहीं बना सकेगा, क्योंकि पहले उसको एक साथ पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए क्या यह मन्त्रालय इस बात पर पुनर्विचार करेगा ताकि दिल्ली में जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं वे भी बड़ी तादाद में मकान बना सकें।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि प्लानिंग की कमी है, इसलिये देर लगी है.....

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री बूटा सिंह : मैंने पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि इतना बड़ा प्राजैक्ट शुरू करने से पहले जहां पर एक करोड़ के करीब लोग आबाद होने जा रहे हैं, कितनी सर्विसिज की जरूरत पड़ेगी आप उसका अन्दाजा लगा सकते हैं। एक प्लाण्ड हाउसिंग प्रोजैक्ट बनाने के लिए पहले से सड़क, टेलीफोन, बिजली, पानी, इत्यादि का इन्तजाम करना निहायत जरूरी है, अगर ऐसा इन्तजाम किए बगैर इजा-

जत दे देते तो वही हालत होती जो आम नान-डवेलप्ड एरियाज में होती है। सड़क बन जाती है तो उसके बाद टेलीफोन वाले खोद रहे हैं, सीवर वाले खोद रहे हैं—So before this, in these under developed areas, compact and planned methods of working go into the construction of the housing complex of this magnitude. It is always better to start with to have all the basic services.

अब जहां तक रोहिणी की बात पूछीगई है—मैंने पहले ही बताया है कि रोहिणी का पैसा जो अभी तक वहां खर्च हुआ है—The expenditure incurred upto October 1983 on the Rohini Project is to the extent of Rs. 2056.07 lakhs which includes Rs. 202 lakhs advanced to D.E.S.U. for electrical works. Now, this is just one part of the whole phased programme. इसमें करीब 21 करोड़ रुपया इक्ट्ठा हुआ था और अब तक 20 करोड़ के करीब सर्विसिज पर खर्च हो चुका है। इसलिए यह संभव नहीं है कि रोहिणी के लिए इक्ट्ठा किया हुआ पैसा दूसरी तरफ खर्च करें।

ग्रुप हाउसेज के बारे में आप ने जो सुझाव दिया है, पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से उन के लिए कोई ऋण की व्यवस्था नहीं है। वे खुद अपने फाइनेन्सेज रेज करते हैं, हम तो सिर्फ उन को प्लाट्स देते हैं.....

श्री नवल किशोर शर्मा : हुडको।

श्री बूटा सिंह : हुडको के बारे में भी यह कहना चाहूंगा कि यह एक सुझाव है जो उन को बतला देंगे। लेकिन डी० डी० ए० की तरफ से कोई लोन ग्रुप हाउसिंग के लिए नहीं दिया जा सकता।

श्री भीखा भाई : आपने कहा है कि जो कीमत रजिस्ट्रेशन के वक्त थी, वही ली जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूसरी स्कीमों के अन्दर भी, जहां रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, यही फार्मूला लागू होगा?

दूसरा भाग—आपने शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए अभी तक कोई प्लाट नहीं दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं—क्या शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स, विशेषकर शेडयूल्ड ट्राइब्स, के लिए भी प्लाट्स की व्यवस्था की गई है?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय तो रोहिणी का प्रोजेक्ट विचाराधीन है। अगर किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए पूछना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नोटिस देना होगा। आप ने कहा है कि आदिवासियों को इसमें कोई प्लाट नहीं दिए गए हैं। मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि इस योजना में भी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए 25 परसेन्ट का रिजर्वेशन है। विडोज आफ डिफैन्स पर्सोनल (किल्ड-इन-एक्शन) के लिए 1 परसेन्ट, एक्स-सर्विसमेन के लिए 1 परसेन्ट और फिजीकली हैण्डीकैप्ड के लिए 1 परसेन्ट का आरक्षण किया गया है। इसलिए यदि आदिवासी और शेडयूल्ड कास्ट्स चाहेंगे तो उन को जरूर दिया जाएगा।

श्री सज्जन कुमार : दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से रोहिणी नाम की एक बहुत बड़ी कालोनी बनाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां रोजगार के लिए कोई इण्डस्ट्रीयल एरिया या कोई इन्डस्ट्रीयल काम्प्लेक्स भी बनाने की योजना है?

SHRI BUTA SINGH : As the hon. Member is very well aware, even in his own constituency, we are, in these days, considering providing composite work-centres for all those unemployed people and artisans. Within their residential areas they will have their works centres along with the marketing and shopping areas.

Rise in Pirce of Rapeseed Oil in Delhi

*163. SHRI P.K. KODIYAN : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of rapeseed oil supplied through ration shops in Delhi has been raised from Rs. 9.15 per kg. to more than Rs. 12 and thatalso will be issued in two kilo packs only;